

13/3/23

पत्रावली पेस हुई। प्रकरण में तहसीलदार कागोड़ से रिपोर्ट प्राप्त। शा. जा. रहे। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया कि जायी द्वारा चाली गिरी शुद्धि तहसीलदार कागोड़ द्वारा शुद्धि पत्र संख्या 1 दिनांक 20/10/22 को की जा चुकी है तथा उसका अमल फारमद श्री जमाबंदी में किया जा चुका है। पत्रावली में जायी द्वारा चाली गिरी शुद्धि हो जाने से पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली में सल सुगार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

